

मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी

एम.ए.सी.पी. सं.-५१७/२०१८,

विजय कुमार गुप्ता बनाम इस्लाम अहमद आदि

२५.०९.२०२०

आज विपक्षी सं.३ चोला मण्डलम एम.एस. जनरल इंश्योरेन्स कं.लि. की ओर से उनके विद्वानअधिवक्ता ने २३ बी प्रार्थनापत्र मय बीमा पोलिसी की छाया प्रति २४सी१ दाखिल किया गया ।

उक्त २३बी प्रार्थनापत्र पर याची की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस आशय की टिप्पणी अंकित की गयी कि, आपत्ति है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया । २३ बी प्रार्थनापत्र में विपक्षी बीमा कम्पनी के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया है कि प्रस्तुत याचिका में वर्णित दुर्घटना बैगन आर नं. यू.पी. ९३ वी ०२७६ व पिकप नं. यू.पी० ९० टी ६६७३ के मध्य हुई है । याची द्वारा पिकप नं. यू.पी० ९० टी ६६७३ की बीमा पोलिसी प्रस्तुत की है जो दिनांक-२९.१२.२०१८ से २८.१२.२०१९ तक के लिए जारी है। उक्त बीमा पोलिसी दुर्घटना की दिनांक २६.१२.२०१८ को प्रभावी नहीं थी। ऐसी स्थिति में बीमा कम्पनी उक्त याचिक में लगातार पैरवी करे इसका कोई प्रथमदृष्टया औचित्य प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थना की गयी है कि विपक्षी सं.३ बीमा कम्पनी को उक्त याचिका से उन्मोचित किए जाने की कृपा की जाय।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया । याचिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि याचिका में दुर्घटना दिनांक २६.१२.२०१८ की बताई गई है तथा याची की ओर से दाखिल बीमा पोलिसी की छाया प्रति १७सी१/३ व विपक्षी बीमा कम्पनी की ओर से प्रार्थनापत्र के साथ दाखिल बीमा पोलिसी की छाया प्रति २४सी१ में प्रश्रगत वाहन दिनांक-२९.१२.२०१८ से २८.१२.२०१९ तक के लिए वैध व प्रभावी है। उक्त बीमा पोलिसी के सम्बन्ध में याची खण्डन में कोई तर्क प्रस्तुत नहीं कर सके, इस प्रकार आपत्ति औपचारिक है। उक्त से स्पष्ट है कि विपक्षी सं.३ बीमा कम्पनी से उक्त प्रश्रगत पिकप नं. यू.पी० ९० टी ६६७३ दुर्घटना की दिनांक को बीमित नहीं थी। अतः मेरे विचार से २३बी प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है व तदनुसार विपक्षी सं.३ बीमा कम्पनी प्रस्तुत याचिका से उन्मोचित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी बीमा कम्पनी का २३बी प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। तदनुसार विपक्षी सं.३ चोला मण्डलम एम.एस. जनरल इंश्योरेन्स कं.लि. को प्रस्तुत याचिका से बतौर विपक्षी उन्मोचित किया जाता है। आपत्ति तदनुसार निस्तारित।

पत्रावली नियत तिथि ०९.१२.२०२० को पेश हो।

(चन्द्रोदय कुमार)
पी.ओ., एम.ए.सी.टी., झाँसी।